न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी, डॉ0राकेश कुमार शर्मा, आर.ए.एस.

अपील संख्याः 54/14 **निर्णय दिनांकः— 08.01.2019**

1. गोकुलचन्द पुत्र आदूराम जाति मेघवाल निवासी मेघवालों का मौहल्ला पानी की टंकी के पास, भीनासर बीकानेर।

—अपीलांट्

—बनाम—

1. सांवतराम पुत्र गोविन्दराम जाति मेघवाल निवासी बासी सहजबरदारान तहसील व जिला बीकानेर।
2. चंदूराम पुत्र मुकनाराम जाति मेघवाल निवासी चक 1 एन.जी.एम. हुसनसर तहसील व जिला बीकानेर।(मृतक)

2/1 मीरा पत्नी स्वं चंदूराम जाति मेघवाल निवासी फतीपुरा इन्द्र कॉलोनी तहसील व जिला बीकानेर।

2/2 भंवरलाल पुत्र स्वं चंदूराम जाति मेघवाल निवासी फतीपुरा इन्द्र कॉलोनी तहसील व जिला बीकानेर।

2/3 रेवंती पुत्री स्वं चंदूराम पत्नी बुधाराम जाति मेघवाल किसमीदेसर तहसील व जिला बीकानेर।

3. पीराराम पुत्र मुकनाराम जाति मेघवाल निवासी फतीपुरा इन्द्र कॉलोनी, बीकानेर।(मृतक)

3/1 सुरजादेवी पत्नी पीराराम उर्फ पीरूराम जाति मेघवाल निवासी फतीपुरा इन्द्र कॉलोनी, बीकानेर।

3/2 मोहनलाल पुत्र पीराराम जाति मेघवाल निवासी फतीपुरा इन्द्र कॉलोनी, बीकानेर।

3/3 प्रभूराम उर्फ प्रभूदयाल पुत्र स्व. पीराराम जाति मेघवाल निवासी फतीपुरा इन्द्र कॉलोनी, बीकानेर। (फौत)

3/3/1 संतोष पत्नी स्व. प्रभूराम

3/3/2 राहुल पुत्र स्व. प्रभूराम

3/3/3 बलविन्द्र पुत्र स्व. प्रभूराम

3/3/4 बिज्जू पुत्री स्व. प्रभूराम

3/4 जगदीश पुत्र पीराराम जाति मेघवाल निवासी फतीपुरा इन्द्र कॉलोनी, बीकानेर।

3/5 कमला पुत्री पीराराम पत्नी नत्थूराम जाति मेघवाल निवासी किशमीदेसर तहसील व जिला बीकानेर।

3/6 गंगा पुत्र पीराराम पत्नी भागीरथ जाति मेघवाल निवासी किशमीदेसर तहसील व जिला बीकानेर।

3/7 अन्नू उर्फ जमना पुत्री पीराराम पत्नी मदनलाल जाति मेघवाल निवासी बड़ी जस्सोलाई, बीकानेर।

3/8 हड़मान पुत्र पीराराम जाति मेघवाल निवासी फतीपुरा इन्द्र कॉलोनी, बीकानेर।

4. पेमीदेवी पत्नी स्व. मालाराम पुत्री स्व. मुकनाराम जाति मेघवाल निवासी कानासर तहसील व जिला बीकानेर।

5. गोमती पत्नी स्व. श्री मालूराम पुत्री मुकनाराम निवासी रामदेव जी मंदिर के पास, फतीपुरा इन्द्र कॉलोनी, बीकानेर।

6. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, बीकानेर।

—रेस्पोडेन्ट्स

अपील विरुद्व निर्णय व डिक्री दिनांक 27—08—2013
उपखण्ड अधिकारी, बीकानेर

<u>उपस्थितः—</u>

1. श्री हरीश मदान, अभिभाषक अपीलांट
2. श्री सुनील चौधरी, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1
3. श्री नन्दराम कासनियॉ, राजकीय अभिभाषक

—निर्णय—

1. अपीलांट ने यह अपील उपखण्ड अधिकारी, बीकानेर के निर्णय व डिक्री दिनांक 27—08—2013 जिसके द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 वाद जरिये राजीनामा स्वीकार किया गया है के विरूद्व इस न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

2. प्रस्तुत प्रकरण में विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा प्राथमिक आपत्ति प्रस्तुत करते हुए कथन किया गया कि अपीलांट को प्रस्तुत अपील प्रस्तुत करने का कानूनी अधिकार हासिल नहीं है क्योंकि

अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित डिक्री अपीलांट के विरूद्व नहीं है। प्रकरण में राजीनामा मुकनाराम के वारिसान से हुआ है। उक्त डिक्री में अपीलांट का कोई हित प्रभावित नहीं होता है। अपीलांट अपनी खातेदारी भूमि पर काबिज है। ऐसी स्थिति में अपीलांट को अपील प्रस्तुत करने की लोकस स्टेण्डाई प्राप्त नहीं है। अतः प्रकरण में प्राथमिक आपत्ति पर सुनवाई करते हुए अपीलांट की अपील खारिज फरमाई जावे। विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत प्राथमिक आपत्ति की प्रति अभिभाषक अपीलांट को पूर्व पेशी पर प्रदान की गई व उभय पक्षों को उक्त प्राथमिक आपत्ति पर सुना गया।

3. विद्वान अभिभाषक प्रार्थी/रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अपनी बहस में कथन किया कि प्रकरण में अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बीकानेर द्वारा दिनांक 27—08—2013 को पक्षकारों द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने के फलस्वरूप वादगत् भूमि ग्राम बासी सहज बरदरान के खसरा नम्बर 50 मिन की 50 बीघा कृषि भूमि जिसे वर्तमान खसरा नम्बर 54 रकबा 12.66 हेक्टर भूमि बाबत् पक्षकारों के मध्य राजीनामा हो चुका है तथा उनके मध्य किसी प्रकार का कोई विवाद शेष नहीं रहा है तथा वे राजीनामें के अनुसार निर्णय व डिक्री चाहते है। अतः मुताबिक राजीनाम दावा बहस वादी खिलाफ प्रतिवादीगण डिक्री किया जावे। इस पर उक्त राजीनाम अदालत मातहत के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर वादी सावंताराम, प्रतिवादीगण आदूराम, मीरा, भंवरलाल, रेवत्नी, सरलादेवी, मोहनलाल, प्रभूराम, जगदीश, कमला, गंगा, अनु उर्फ जमना, हड़मान व पेमी तथा गोमती के मध्य राजीनामा निष्पदित होकर प्रस्तुत किये जाने पर पक्षकारों के मध्य राजीनामा तस्दीक करते हुए वाद डिक्री किया गया है।

उन्होनें आगे बताया कि यदि अपीलांट उक्त राजीनामें से किसी प्रकार से व्यथित थे अथवा है तो अपीलांट को उसी न्यायालय के समक्ष आवेदन करते हुए चाराजोई करनी चाहिए। अपीलांट उक्त राजीनामें के विरूद्व अपीलीय न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत करते हुए किसी प्रकार की रिलिफ प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। इस संबंध में सिविल प्रक्रिया संहित के आदेश 23 (3) में स्पष्ट रूप से अभिलिखित किया गया है किः—

A consent decree operates as an estopal and is valid and binding unless it is set aside by the court which passed the consent decree, by an order on an application under the proviso to Rule 3 of Order 23 CPC.

इस प्रकार उक्त आदेश में यह भलीभांति अभिलिखित किया गया है कि यदि अपीलांट उक्त राजीनामें से किसी प्रकार से व्यथित है तो उन्हें अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष ही प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुए चाराजोई करनी चाहिए थी ना की अपील के माध्यम से किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने की चेष्टा की जानी चाहिए थी।

विद्वान अभिभाषक प्रार्थी/रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा अपनी बहस में आगे बताया कि अपीलांट द्वारा न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत अपील में न्यायालय के क्या रिलिफ चाही गई है इसका उल्लेख अपील मीमों के कहीं भी अंकित नहीं है। ऐसी स्थिति में न्यायालय अपलींट को क्या अनुतोष प्रदान करेगा यह भी एक प्रश्न चिन्ह ही है। इसी क्रम में विद्वान अभिभाषक प्रार्थी/रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने कथन किया कि अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील के अंतिम पैरा में अपीलांट द्वारा अभिलिखित किया गया है कि वादी सावंताराम का वाद निरस्त किया जावे। जबकि न्यायालय में अपीलांट द्वारा अपील प्रस्तुत की गई ना ही वाद प्रस्तुत किया गया है। वाद को निरस्त अथवा स्वीकार करने का अधिकार उपखण्ड न्यायालय का क्षेत्राधिकार है। इस प्रकार अपीलांट स्वयं अपने लिखित अभिकथनों में यह स्वीकार करते है कि वे वादी सावंताराम का वाद निरस्त करवाना चाहते है। जिसके लिए अपीलांट को अदालत मातहत के समक्ष ही इस्तदुआ की जानी चाहिए थी। इस संबंध में विद्वान अभिभाषक प्रार्थी/रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा आरआरटी 2017 पार्ट II पेज 823 का न्यायिक दृष्टांत पेश किया। जिसमें अभिलिखित किया गया है किः—

No relief claimed to allot the land, cannot be granted. Appeal dismissed.

उन्होनें आगे बताया कि पत्रावली में अपीलांट के हित किस प्रकार से प्रभावित है यह साबित करने में पूर्णतया असफल रहे है। प्रकरण में पक्षकारों के मध्य वादगत् भूमि ग्राम बासी सहज बरदरान के खसरा नम्बर 50 मिन की 50 बीघा कृषि भूमि जिसे वर्तमान खसरा नम्बर 54 रकबा 12.66 हेक्टर भूमि के बाबत् राजीनामा हुआ है। उक्त भूमि मिसल नम्बर 644/89 दिनांक 25–08–1989 को तत्कालीन उपखण्ड अधिकारी (उत्तर), बीकानेर ने वादीगण के पिता श्री गोविन्दराम को खातेदारी अधिकार प्रदान किये गये थे। वादीगण के पिता श्री गोविन्दराम की दिनांक 31–10–2001 को मृत्यु हो चुकी है तथा वादीगण उक्त भूमि पर बतौर वारिसान खातेदार काश्तकार है। उक्त भूमि वर्तमान खसरा नम्बर 54 रकबा 12.66 हेक्टर के रूप में पैमूद हुई।

प्रकरण में अपीलांट द्वारा न्यायालय हाजा के समक्ष जो अपील प्रस्तुत की गई है उक्त अपील मिसल संख्या 649/89 दिनांक 25–08–1989 के माध्यम से प्राप्त खातेदारी भूमि वर्तमान खसरा नम्बर 39 रकबा 6.33 हेक्टर व खसरा नम्बर 54 रकबा 3.14 हेक्टर कुल 9.47 हेक्टर के बाबत् प्रस्तुत की गई है। इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत वाद व न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत अपील में वर्णित वादगत् भूमियॉ भिन्न भिन्न है। इस प्रकार अपीलांट स्वच्छ हाथों से न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं आये है। अपीलांट द्वारा न्यायालय को गुमराह करते हुए पत्रावली पर दिनांक 06–05–2014 को एकतरफा तौर पर स्थगन आदेश प्राप्त किया गया है। जिसके अपीलांट कतई अधिकारी नहीं है। ऐसी स्थिति में उक्त स्थगन आदेश को अपास्त किया जावे।

विद्वान अभिभाषक प्रार्थी/रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने आगे बताया कि अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील स्पष्ट रूप से मियांद बाहर अपील है। अपीलांट द्वारा मियांद प्रार्थना पत्र में देरी के जो कारण अंकित किये गये है वे मियांद को कण्डोन करने के पर्याप्त कारण नहीं है। ऐसी स्थिति में अपीलांट की अपील मियांद के बिन्दु पर खारिज फरमाई जावे। इस संबंध में विद्वान अभिभाषक प्रार्थी/रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा आरआरडी 2009 पेज 521 का न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किया। जिसमें अभिलिखित

किया गया है कि without condonation of delay no order be passed.

इसप्रकार प्रकरण में यह तथ भलीभांति साबित होता है कि अपीलांट न्यायालय के समक्ष स्वच्छ हाथों से नहीं आये है। प्रकरण में अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत वादपत्र व न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत अपील में वर्णित भूमि भिन्न—भिन्न साबित है तथा उपरोक्त भूमियॉ भिन्न—भिन्न पत्रावलियों से गोविन्दराम को प्राप्त हुई है तथा पक्षकारों के मध्य ग्राम बासी सहज बरदरान के खसरा नम्बर 50 मिन की 50 बीघा कृषि भूमि जिसे वर्तमान खसरा नम्बर 54 रकबा 12.66 हेक्टर भूमि के बाबत् राजीनामा हुआ है। उक्त भूमि मिसल नम्बर 644/89 दिनांक 25—08—1989 में वर्णित भूमि है। जबकि अपीलांट द्वारा न्यायालय हाजा के समक्ष मिसल संख्या 649/89 दिनांक 25—08—1989 में वर्णित भूमि वर्तमान खसरा नम्बर 39 रकबा 6.33 हेक्टर व खसरा नम्बर 54 रकबा 3.14 हेक्टर कुल 9.47 हेक्टर भूमि बाबत् प्रस्तुत की गई। इस प्रकार दोनों भूमियॉ अर्थात वादपत्र में वर्णित भूमि व अपील में वर्णित भूमि अलग—अलग व भिन्न—भिन्न पत्रावलियों से प्राप्त भूमि है। जिसकी उक्त अपील से कोई सम्बन्ध नहीं है। इस प्रकार अपीलांट द्वारा अदालत मातहत अधेंरे में रखते हुए व तथ्यों को छिपाते हुए उक्त अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई है। अतः प्रार्थी/रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की प्राथमिक आपत्ति स्वीकार करते हुए अपीलांट की अपील इसी स्तर पर खारिज फरमाई जावे।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलांट/अप्रार्थी ने अपनी बहस में कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 27—08—2013 को तारीख पेशी से पूर्व बिना आदूराम को सुनवाई व सबूत का अवसर प्रदान किये पत्रावली का राजीनामें के आधार पर वाद डिक्री फरमा दिया गया। इस प्रकार उक्त निर्णय व डिक्री पारित करने से पूर्व अदालत मातहत द्वारा आदूराम एवं अन्य पक्षकारों को बिना कोई सूचना व सुनवाई व सबूत का अवसर प्रदान किये पत्रावली पेशी से पूर्व प्राकृतिक न्याय के मूल भूमि सिद्वान्तों के विपरीत जाकर राजीनामें के आधार पर निर्णय व डिक्री पारित की गई है। जिसका कतई अधिकार अदालत मातहत को प्राप्त

नहीं था। प्रकरण में अदालत मातहत के समक्ष जो राजीनामा प्रस्तुत किया गया है उक्त राजीनामें में द्वितीय पक्षकारान् को पक्षकार ही नहीं बनाया गया है ना ही आदूराम के राजीनामें में कहीं हस्ताक्षर व नाम अंकित है।

उन्होनें आगे बताया कि अपीलांट स्व. आदूराम का पुत्र है तथा विवादित भूमि आदूराम के नाम से बतौर खातेदार राजस्व रिकार्ड में अंकन होने से अपीलांट वर्तमान में वादगत् भूमि के रिकार्डेड खातेदार है। ऐसी स्थिति में अपीलांट के वादगत् भूमि में हक व हकूक निहित है। अपीलांट द्वारा न्यायालय हाजा के समक्ष अपील के साथ धारा 96 सीपीसी का प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत करते हुए अपील की अनुमति चाही गई है।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट/अप्रार्थी ने अपनी बहस में आगे बताया कि प्रकरण में अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष पत्रावली दिनांक 19—09—2013 नियत थी। परन्तु नियत दिनाक से पूर्व ही वादी सांवताराम एवं अन्य प्रतिवादीगण ने साज बाज करके एक राजीनामा प्रस्तुत किया गया तथा उक्त राजीनामें के आधार पर दिनांक 27—08—2013 को राजीनामें के आधार पर वाद डिक्री करते हुए निर्णित कर दिया गया। उक्त राजीनामें के आधार पर डिक्री पारित करने से पूर्व आदूराम प्रतिवादी संख्या 1 को किसी प्रकार की कोई सूचना नहीं दी गई ना ही तारीख पेशी से पूर्व पत्रावली पेशी पर लेने की कोई सूचना नहीं दी गई है।

प्रकरण में सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि प्रतिवादी संख्या 1 चंदूराम की मृत्यु हो चुकी है तथा एक अन्य प्रतिवादी संख्या 3 पीराराम की भी मृत्यु हो चुकी है। परन्तु अदालत मातहत द्वारा प्रतिवादी संख्या 2 व 3 के विधिक उत्तराधिकारियों को रिकार्ड पर लिये बिना ही एकतरफा तौर पर आदेश पारित किये गये है। जो स्पष्ट रूप से कानून के प्रतिपादित सिद्वान्तों के विपरीत पारित किया गये आदेश है।

प्रस्तुत मामलें में अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष जो राजीनामा प्रस्तुत किया गया है उक्त राजीनामें में द्वितीय पक्षकार के कहीं हस्ताक्षर

अंकित नहीं है। प्रस्तुत प्रकरण में अपीलांट आदूराम के पुत्र है तथा विवादित भूमि आदूराम के नाम से बतौर खातेदार राजस्व रिकार्ड में अंकित है ऐसी स्थिति में अपीलांट के वादगत् भूमि पर हक व हकूक निहित है। अदालत मातहत द्वारा अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर बिना विधिक पक्षकारों को सुनवाई व सबूत का अवसर प्रदान किये राजीनामें के आधार पर वाद डिक्री किया गया है। जिसका कतई कानूनी अधिकार अदालत मातहत को प्राप्त नहीं था।

प्रकरण में आदेश जैर अपील की आड़ में रेस्पोडेन्ट वादगत् भूमि को रहन, बैय व मुन्तकिल करने की फिराक में होने के कारण अपीलांट द्वारा न्यायालय हाजा के समक्ष अपील प्रस्तुत करते हुए वादगत् भूमि पर स्थगन आदेश प्राप्त किया गया है। न्यायालय हाजा द्वारा प्रकरण की तमाम स्थितियों को ध्यान में रखते हुए ही वादगत् भूमि के मौके व राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति कायम रखने के आदेश प्रदान किये गये है। उक्त आदेश से किसी पक्षकार के हितों पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है।

चूंकि प्रकरण में अदालत मातहत द्वारा वादगत् भूमि के जायज पक्षकारों को सुनवाई व सबूत का अवसर प्रदान किये बिना ही अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर राजीनामें के आधार पर वाद डिक्री किया गया है जिसका अधिकार कतई अदालत मातहत को प्राप्त नहीं था। ऐसी स्थिति में अपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जावे कि वे वादगत् भूमि के बाबत् समस्त जायज पक्षकारों को सुनवाई व सबूत का अवसर प्रदान करते हुए पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें।

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

6. (1) हस्तगत् प्रकरण में अपीलांट् द्वारा अदालत मातहत उपखण्ड अधिकारी, बीकानेर के निर्णय व डिक्री दिनांक 27—08—2013 जिसके द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 वाद जरिये राजीनामा स्वीकार किया गया है के विरूद्व इस न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

(2) हमने अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली व उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। प्रकरण में उभय पक्षों की बहस व उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन के पश्चात् सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यह सामने आता है कि अदालत मातहत के समक्ष वादगत् प्रस्तुत हुआ। उक्त वादगत् पत्र का अवलोकन किया गया। जिसके अवलोकन से प्रथम दृष्टया यह साबित है कि अदालत मातहत के समक्ष वादी द्वारा ग्राम बासी सहज बरदरान के खसरा नम्बर 50 मिन की 50 बीघा कृषि भूमि जिसके वर्तमान खसरा नम्बर 54 रकबा 12.66 हेक्टर भूमि के बाबत् राजीनामा हुआ है। उक्त भूमि मिसल नम्बर 644/89 दिनांक 25—08—1989 में वर्णित भूमि है। इस प्रकार यह साबित है कि अदालत मातहत द्वारा मिसल संख्या 644/89 में वर्णित भूमि अर्थात खसरा नम्बर 50 मिन की 50 बीघा कृषि भूमि जिसके वर्तमान खसरा नम्बर 54 रकबा 12.66 हेक्टर भूमि के बाबत् राजीनामें के आधार पर वाद निर्णित करते हुए डिक्री किया गया है।

(3) प्रकरण में हमने अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील मीमों का भी अवलोकन किया। उक्त अपील मीमों में अपीलांट द्वारा मिसल संख्या 649/89 दिनांक 25—08—1989 में वर्णित भूमि अर्थात वर्तमान खसरा नम्बर 39 रकबा 6.3 हेक्टर व खसरा नम्बर 54 रकबा 3.14 हेक्टर अर्थात 9.47 हैक्टर भूमि के बाबत् अपील प्रस्तुत की गई है। इस प्रकार अपील मीमों में वर्णित भूमि व वादगत् पत्र में वर्णित भूमि भिन्न—भिन्न प्रतीत होती है।

(4) प्रस्तुत मामलें में अपीलांट द्वारा अदालत मातहत के समक्ष प्रस्तुत राजीनामें के आधार पर निर्णय व डिक्री पारित किये जाने के विरूद्व अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई है। इस संबंध में हमारा अभिमत है कि यदि अपीलांट उक्त राजीनामें से किसी प्रकार से व्यथित थे अथवा है तो अपीलांट को उसी न्यायालय के समक्ष आवेदन करते हुए चाराजोई करनी चाहिए। अपीलांट उक्त राजीनामें के विरूद्व अपीलीय न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत करते हुए किसी प्रकार की रिलिफ प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। इस संबंध में सिविल प्रक्रिया संहित के आदेश 23 (3) में स्पष्ट रूप से अभिलिखित किया गया है कि:— A consent decree operates as an estopal

and is valid and binding unless it is set aside by the court which passed the consent decree, by an order on an application under the proviso to Rule 3 of Order 23 CPC.

इस प्रकार यदि अपीलांट उक्त राजीनामें से किसी प्रकार से व्यथित है तो उन्हें अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष ही प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुए चाराजोई करनी चाहिए थी जैसा की अपीलांट द्वारा नहीं किया गया। ऐसी स्थिति में अपीलांट उक्त अपील के माध्यम से किसी प्रकार का कोई अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है।

(5) प्रकरण में प्रकरण में अपीलांट द्वारा न्यायालय हाजा के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई है। उक्त अपील मिसल संख्या 649/89 दिनांक 25–08–1989 के माध्यम से प्राप्त खातेदारी भूमि वर्तमान खसरा नम्बर 39 रकबा 6.33 हेक्टर व खसरा नम्बर 54 रकबा 3.14 हेक्टर कुल 9.47 हेक्टर के बाबत् प्रस्तुत की गई है। जबकि अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष पक्षकारों के मध्य मिसल संख्या 644/89 दिनांक 25–08–1989 में वर्णित भूमि खसरा नम्बर 54 रकबा 12.66 हेक्टर के बाबत् पक्षकारों के मध्य राजीनामें के आधार पर वाद डिक्री किया गया है।

इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत वाद व न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत अपील में वर्णित वादगत् भूमियॉ भिन्न भिन्न है। जिससे प्रतीत होता है कि अपीलांट स्वच्छ हाथों से व स्वच्छ मन से न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं आये है। अपीलांट द्वारा न्यायालय को अन्धेरें में रखते हुए दिनांक 06–05–2014 को एकतरफा तौर पर स्थगन आदेश प्राप्त किया गया है। जिसके अपीलांट कतई अधिकारी नहीं है। ऐसी स्थिति में उक्त स्थगन आदेश को अपास्त किया जाता है।

(6) **प्रकरण में इसके अतिरिक्त विवाद का बिन्दु तथाकथित राजीनामा है,** अपीलांट उक्त राजीनामें से किसी प्रकार से व्यथित थे अथवा है, तो अपीलांट को उसी न्यायालय के समक्ष आवेदन करते हुए चाराजोई करनी चाहिए। इस संबंध में सिविल प्रक्रिया संहित के आदेश 23 (3) में स्पष्ट रूप से अभिलिखित किया गया है किः–

A consent decree operates as an estopal and is valid and binding unless it is set aside by the court which passed the consent decree, by an order on an application under the proviso to Rule 3 of Order 23 CPC.

इस प्रकार उक्त आदेश के अनुसरण में यदि अपीलांट तथाकथित राजीनामें से किसी प्रकार से व्यथित थे अथवा है, तो उन्हें अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष ही प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुए चाराजोई करते हुए अनुतोष प्राप्त करने की चेष्टा की जानी चाहिए थी।

(7) प्रकरण में अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील का अवलोकन किया गया। जिसके अवलोकन से साबित है कि अपीलांट द्वारा न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत अपील में न्यायालय के क्या रिलिफ चाही गई है इसका उल्लेख अपील मीमों के कहीं भी अंकित नहीं है। ऐसी स्थिति में अपीलांट न्यायालय से क्या अनुतोष प्राप्त करना चाहता है यह भी एक प्रश्न चिन्ह है?

इसी क्रम में अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील के अंतिम पैरा में का भी अवलोकन किया गया। जिसमें अपीलांट द्वारा अभिलिखित किया गया है कि वादी सावंताराम का वाद निरस्त किया जावे।

जबकि न्यायालय हाजा में अपीलांट द्वारा अपील प्रस्तुत की गई ना ही वाद प्रस्तुत किया गया है। वाद को निरस्त अथवा स्वीकार करने का अधिकार उपखण्ड न्यायालय का क्षेत्राधिकार है। जिससे साबित हैं कि अपीलांट स्वयं अपने लिखित अभिकथनों में यह स्वीकार करते है कि वे वादी सावंताराम का वाद निरस्त करवाना चाहते है। जिसके लिए अपीलांट को अदालत मातहत के समक्ष ही प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुए उक्त राजीनामें को निरस्त कराने की इस्तदुआ की जानी चाहिए थी। इस संबंध में विद्वान अभिभाषक प्रार्थी/रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा आरआरटी 2017 पार्ट II पेज 823 का न्यायिक दृष्टांत पेश किया। जिसमें अभिलिखित किया गया है कि:– **No relief claimed to allot the land, cannot be granted. Appeal dismissed.** **मामलें पर पूर्णतया चस्पा होती है।**

(8) इस प्रकार प्रस्तुत प्रकरण में तमाम तथ्यों से यह साबित है कि प्रकरण में अपीलांट स्वच्छ हाथों से एवं स्वच्छ मन से न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं आये है। प्रकरण में वादपत्र व अपील में वर्णित भूमि भिन्न–भिन्न प्रतीत होती है। इस प्रकरण में यह निर्विवाद है कि पक्षकारों के मध्य राजीनामा मिसल संख्या 644/89 में वर्णित भूमि ग्राम सहज बरदरान के खसरा नम्बर 50 मिन की 50 बीघा भूमि जिसके वर्तमान खसरा नम्बर 54 रकबा 12.66 हेक्टर भूमि के बाबत् हुआ है तथा अपीलांट द्वारा अपील मिसल संख्या 649/89 में वर्णित भूमि वर्तमान खसरा नम्बर 39 रकबा 6.33 हेक्टर व खसरा नम्बर 54 रकबा 3.14 हेक्टर कुल 9.47 हेक्टर भूमि के बाबत् प्रस्तुत की गई है। जोकि भिन्न–भिन्न भूमियॉ है। इस प्रकार प्रतीत होता है कि अपीलांट द्वारा न्यायालय को गुमराह करते हुए अपील में स्थगन आदेश प्राप्त किया गया है। लिहाजा न्यायालय हाजा द्वारा अपील में दिनांक 06–05–2014 को पारित स्थगन आदेश को निरस्त किया जाता है। अपीलांट इस अपील के माध्यम से किसी प्रकार का कोई अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है।

7. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी/रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की प्राथमिक आपत्ति स्वीकार करते हुए अपीलांट की अपील इसी स्तर पर खारिज की जाकर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 27–08–2013 उपखण्ड अधिकारी, बीकानेर यथावत बहाल रखा जाता है। अपीलांट यदि अदालत मातहत के समक्ष प्रस्तुत राजीनामें से किसी प्रकार से व्यथित है तो वे अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुए चाराजोई/रिलिफ प्राप्त करने हेतु स्वतन्त्र है।

8. निर्णय आज दिनांक 08.01.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 राकेश कुमार शर्मा)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर